



म.प्र उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर

फॉर्म- डी
अस्वीकृति आदेश
(कृपया नियम 4(2) देखें)

No.RTIA/DR-HCIND/ 1321

इन्दौर, दिनांक- 09.07.2019

द्वारा,

डिप्टी रजिस्ट्रार,
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ इन्दौर (म0प्र0)

प्रति,

श्री राजेन्द्र सिंह राजपाल
307, इन्द्रपुरी कॉलोनी
इंदौर (म0प्र0)

Email I.D-balajicablesindore@gmail.com

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत जानकारी प्राप्ति बाबत।
संदर्भ :- आपका आवेदन पत्र Form-A दिनांक 04/07/2019 प्राप्त दिनांक
08/07/2019 & marked Id.No. : 11/2019-20

आपके द्वारा संदर्भित आवेदन पत्र अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी चाही गयी है
:-

“Please provide the copy of Power of Attorney given by Surjeet Kaur Rajpal, seized by Aerodrum police/Lower Court Case No. 58180/2006, record called by HC Demand Note No. 37571 Dt. 12.11.16 submitted by DJ Office vide Lr. No. 175 Dt.21.11.16 in the matter of MCRC No. 8826/16”

- उपरोक्त चाही गयी जानकारी निम्नलिखित कारणों से प्रदाय नहीं की जा सकती है :-
(1)The High court of Madhya Pradesh [Right to Information] Rules, 2006 के नियम 8(1) के अनुसार लोक सूचना अधिकारी न्यायिक प्रकरणों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदाय करने के लिये जबाबदेय नहीं है जो The High Court of Madhya Pradesh Rules, 2008 के Chapter-XVIII अंतर्गत आवेदक द्वारा न्यायालय की प्रतिलिपि शाखा (Copying Section) से प्राप्त की जा सकती हैं।
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुभाग 19 के अनुसार आप इस आदेश के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी (प्रिंसिपल रजिस्ट्रार) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर को अपील कर सकते हैं।

Received copy
09/07/19

(राजेश कुमार शर्मा)
डिप्टी रजिस्ट्रार 09.07.19
राज्य लोक सूचना अधिकारी
म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर

o/c